सृष्टि चक्र

ओं इत्येकाक्षरं ब्रह्म
ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमाम् कस्मै देवाय हविषा विधेम!
डी.ए.वी.पी. (भारत सरकार) द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त

पंजीयन संख्याः UTTHIN/2006/17322
डाक पंजीयन संख्याः यू.ए./डी.ओ./दे.दून/291/2024-26

वर्ष-20 अंक-01 साप्ताहिक हरिद्वार (उत्तराखण्ड) बृहस्पतिवार 29 मई 2025 पृष्ठ-4 मूल्य 1 रूपया

कैबिनेट में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय, राज्य और कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

सुशील

देहरादून। 1- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमैन्ट) नियमावली, 2024 के प्रख्यापन के संबंध में निर्णय। वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई, 2017 के द्वारा राज्य में अवस्थापना एवं सेवा परियोजनाओं के लिए सामग्री, निर्माण कार्य, सेवाओं की अधिप्राप्ति और लोक निजी सहभागिता की व्यवस्था करने के प्रयोजन और उनसे सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों के विनियमन के लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गई है। भारत सरकार द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं यथा-विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक आदि द्वारा पोषित योजनाओं में सामग्री, निर्माण, सेवाओं एवं कन्सल्टेन्ट आदि के प्रोक्योरमेंट के सम्बन्ध में समय-समय पर 'सामान्य वित्तीय नियम-2017' में संशोधन किये गये हैं। इसी क्रम में राज्य की भौगोलिक परिस्थिति तथा व्यवहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति

नियमावली, 2017 में संशोधन की आवश्यकता पाये जाने के दृष्टिगत अधिप्राप्ति के ढांचे एवं पारदर्शिता को मजबूत किये जाने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमैन्ट) नियमावली, 2024 को प्रख्यापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट के द्वारा उत्तराखंड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली में संशोधन का अनुमोदन करते हुए राज्य के स्थानीय निवासियों के सशक्तिकरण और उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए विभिन्न विभागों में रू. 10करोड़ तक की लागत के कार्य स्थानीय व्यक्तियों या स्थानीय पंजीकृत फर्मों के माध्यम से ही कराए जाने का निर्णय लिया गया है। अभी तक स्थानीय लोगों के लिए यह सीमा रू. 05 करोड़ तक थी। इसके साथ ही राज्य के विभागों में विभिन्न श्रेणियों में पंजीकृत ठेकेदारों के लिए कार्य की सीमा को भी बढाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट के द्वारा स्वयं सहायता समूहों एवं एमएसएमई को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय उत्पादों को बढावा देने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूहों एवं एवं एमएसएमई को क्रय वरीयता प्रदान करने के लिए भी नीति का अनुमोदन प्रदान किया गया है। स्वयं सहायता समूहों के लिए पहले इस तरह की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। अभी तक स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को रू. 05 लाख तक की लागत के कार्य दिए जा सकते थे। क्रय वरीयता की नीति लागू होने से राज्य के सरकारी विभागों की निविदा प्रक्रिया में स्वयं सहायता समूहों एवं एमएसएमई को न्यूनतम दर की निविदा से 10प्रतिशत की सीमा तक क्रय वरीयता मिलेगी। निविदा प्रक्रिया में अर्नेस्ट मनी को भौतिक रूप में जमा किये जाने की व्यवस्था को समाप्त कर अब निविदाओं के साथ ऑनलाईन प्रक्रिया से ई.बी.जी. (इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी) लिए जाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट के द्वारा प्रोक्योरमेंटी में संबंध में शिकायतों के निस्तारण के लिए आईएफएमएस पोर्टल पर ग्रीवांस रिड्रेसल यूटिलिटी को भी संचालित किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। 2- उत्तराखण्ड मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति-2025 (मेगा पॉलिसी-2025) के प्राख्यापन के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय। राज्य में वृहत उद्यमों हेतु वर्तमान में लागू मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति-2021 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उपादान हेतु बार-बार आवेदन की जटिल प्रक्रिया एवं उक्त नीति दिनांक 30जून, 2025 को समाप्त होने तथा केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के लिये लागू औद्योगिक विकास योजना -2017 के वर्ष 2022 में समाप्त होने के कारण वृहत उद्यमों हेतु पूंजीगत उपादान की अन-उपलब्धता के दृष्टिगत पूर्व नीति में प्रावधानित सभी प्रकार के उपादानों को सम्मिलित कर पूंजीगत उपादान का प्रावधान करते हुये उत्तराखण्ड मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति-2025 (मेगा पॉलिसी-2025) प्रस्तावित की गयी है।

सीडीओ ने नीति आयोग की समीक्षा बैठक ली

विशाल

हरिद्वार। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे की अध्यक्षता में नीति आयोग की समीक्षा बैठक आहूत की गई। जनपद हरिद्वार को फाइनेंशियल इंक्लूजन × स्किल डेवलपमेंट थीम में बेस्ट परफार्मिंग डिस्ट्रिक्ट अंडर एडीपी के आधार पर रू003.00करोड़ की धनराशि पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुई है। नीति आयोग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में रू003.00करोड़ की धनराशि का प्लान ऑफ़ एक्शन नीति आयोग की एंपावरमेंट कमेटी के अनुमोदनार्थ भेजा गया है। जिसमें स्वास्थ्य (हेल्थ- आरएस80.32 लाख). पोषण (न्यूट्रिशन- आरएस 98.60लाख) के अन्तर्गत सौर्य केन्द्र (65 आंगनबाडी केन्द्रों का सौन्दर्यकरण), आजीविका (लाइवलीहुड आरएस18.36 लाख). शिक्षा (एजुकेशन-आरएस 56.00 लाख) खेल उदय के अन्तर्गत 7 स्कूलों में खेल सुविधा विकसित करना व पशुपालन (वेटरिनरी-आरएस46.72 लाख) विभाग से सम्बन्धित कुल 5 गतिविधियों/ विषयों पर बैठक की गई । बैठक में मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा सभी विषयों / गतिविधियों पर सम्बन्धित विभागों के साथ प्लान ऑफ़ एक्शन की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई साथ ही सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश दिये गये।

डीएम और सीडीओ ने रीप परियोजना के कार्यो का औचक निरीक्षण किया

एस. गुप्ता

भगवानपुर/रुड़की। मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशों के क्रम में, जनपद हरिद्वार के समस्त विकासखंडों में अल्ट्रा पूवर सपोर्ट, एंटरप्राइजेज (फॉर्म एवं नॉन फॉर्म) और सीबीओ लेवल के एंटरप्राइजेज की स्थापना की गई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह तथा मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे द्वारा ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना के अंतर्गत भगवानपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत अमानतगढ़ और ग्राम पंचायत बुग्गावाला में किए गए कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान उद्यमों की प्रगति का आँकलन व भौतिक प्रगति की मौके पर ही समीक्षा की।निरीक्षण की शुरुआत ग्राम पंचायत अमानतगढ़ में ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना के अंतर्गत पशुपालन विभाग उत्तराखंड के सहयोग से स्थापित बकरी प्रजनन केंद्र के

भ्रमण से हुई।जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को जिला परियोजना प्रबंधक, ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना संजय सक्सेना और मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी डी. के. चंद्र द्वारा केंद्र के उद्देश्यों, संभावित लाभों और भविष्य में इसके संचालन की विस्तृत जानकारी दी गई। श्री सक्सेना ने बताया कि केंद्र की लागत, बकरियों की क्षमता, उनकी प्रजाति और बच्चों के विपणन की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इस केंद्र की विशेष पहचान चार प्रकार की बकरी नस्लों का उत्पादन करना है।पहले चरण में राजस्थान की जाखराना ब्रीड लाई गई है, जिसका औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन 3 से 4 लीटर है।

सम्पादकीय

रक्षा क्षेत्र में नई उड़ान

ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से एक के बाद एक देश को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए ताबड़तोड़ निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ले रही हैं, उसके दूरगामी परिणाम तो बाद में पता चलेंगे, परन्तु उनकी खनक दुनिया भर में सुनाई दे रही है। तभी तो अब प्रथम बार लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए सरकार ने निजी क्षेत्रों को भी मौका देने का फैसला किया है। जोकि सशक्त भारत के लिए भविष्य में मील का पत्थर साबित हो सकता है। हमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वक्तव्य पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण में हमको जिस तरह की कामयाबी मिली है उससे हमारे हौसलों को एक नई पहचान मिली है। अब हम देश में ही एडवांस मीडियम कांबेट एयर क्राफ्ट की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं। भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण शीघ्र ही शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने इसका निष्पादन मॉडल भी जारी कर दिया है। एडीए के निर्देशन में इस महत्वकांक्षी परियोजना का क्रियान्वयन होगा। जोकि देश के लिए गर्व की बात है। विदित हो कि भारत में हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड (एचएएल) की लड़ाकू विमानों को बनाता है, किन्तु अब सार्वजनिक क्षेत्र की कोई भी कम्पनी इस परियोजना के लिए आवेदन कर सकती है। हां यह अलग बात है कि कम्पनी भारतीय ही होनी चाहिए ना कि विदेशी मूल की। वैसे तो वर्तमान में टाटा एयरबस द्वारा संयुक्त उपक्रम के माध्यम से हमारी वायुसेना के लिए सी-295विमानों का निर्माण हो रहा है। पांचवीं पीढ़ी के इस विमान को दुश्मन आसानी से निशाना नहीं बना पायेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत इस तरह के विमानों के निर्माण पर फोकस करना चाहता है क्योंकि इनका निशाना एकदम सटीक होता है और आसानी से दुश्मन के घर में घुस कर उसके ठिकानों को निशाना बना सकते। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को बता दिया है कि अब वह किसी के भी आगे नहीं झुकेगा, और दुश्मन को उसके घर में घुस कर मारेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।

उपाध्यक्ष ने किया चारधाम यात्रा पंजीकरण केन्द्र का स्थलीय निरीक्षण

अमित कुमार

हरिद्वार। विनय रोहिल्ला उपाध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन उत्तराखंड सरकार ने ऋषिकुल मैदान पहुॅचकर चारधाम यात्रा पंजीकरण केन्द्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पंजीकरण केन्द्र पर यात्रियों की सुविधा हेतु पंजीकरण काउण्टर, बैठने, पेयजल, शौचायलय, चिकित्सा, सुरक्षा आदि व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। उन्होंने देश-विदेश से चार धाम यात्रा हेतु पंजीकरण केन्द्र पहुॅचे श्रद्धालुओं से वार्ता करते हुए विभिन्न विषयों पर फीडबैक लिया तथा सभी की सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना की। पंजीकरण केन्द्र पहुॅचे सभी श्रद्धालुओं ने पंजीकरण हेतु किये गये इन्तजामात की भूरी-भूरी प्रशंसा की। उन्होंने ऋषिकुल मैदान में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि चार धाम यात्रा पर आने वाले दर्शनार्थियों के लिए सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद की गई है तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा बेहतर ढंग से कार्य किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि देश विदेश से आने वाले लगभग 2 लाख 6०हजार तीर्थयात्रियों द्वारा अबतक ऑफलाइन अपना पंजीकरण करा लिया है,

14 वीडीओ की हुई प्रतिकूल प्रविष्टि

अमित कुमार

हरिद्वार। मनरेगा योजना में कार्य कर रहे श्रमिकों की त्रुटिपूर्ण फोटोग्राफ्स मनरेगा पोर्टल पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचना के क्रम में विकास खण्डों को एन०एम०एम०एस०के माध्यम से ली जा रही उपस्थिति में अपलोड किये गये फोटोग्राफ्स की जाँच करने के खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे। साथ ही दोषी सम्बन्धितों पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। तत्क्रम में जाँच उपरान्त दोषी कार्मिकों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए 14 ग्राम विकास अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है, 11 ग्राम रोजगार सेवकों की वित्तीय वर्ष 2०25-26 की मानदेय की वार्षिक वृद्धि पर रोक लगायी गयी है, सम्बन्धित ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी किया गया है एवं मेटों को कार्य से पृथक किया गया है, उप कार्यक्रम अधिकारियों (मनरेगा) पर अर्थदण्ड लगाया गया है। सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारियों को अंतिम चेतावनी जारी की गयी है। खण्ड विकास अधिकारी स्वयं तथा सहायक खण्ड विकास अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारियों के माध्यम से फील्ड में जाकर औचक निरीक्षण करते हुए प्रगति पर चल रहे कार्यों का भौतिक सत्यापन / अनुश्रवण करने के कड़े निर्देश दिये गये हैं और आख्या जनपद स्तर को नियमित रुप से प्रस्तुत करने निर्देश दिये गये हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा ने बच्चों को दी बाल अनुकूल कानूनी सेवाओं की जानकारी

अमित गुप्ता

अल्मोड़ा। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन में और अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में शचि शर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा बच्चों के लिए बाल अनुकूल कानूनी सेवाएं एवं बच्चों के लाभार्थ विभिन्न सरकारी योजनाओं अभियान के अनुक्रम मे विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा, मंगलदीप खत्याड़ी,लैप्रोसी मिशन करबला व बलढौटी में विधिक जागरुकता शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों का आरम्भ नालसा थीम गीत एक मुठ्ठी आसमान चलाकर किया गया। उपस्थित छात्र- छात्राओं,दिव्यागों व अन्य व्यक्तियों को नालसा बच्चों के लिए बाल- अनुकूल कानूनी सेवाएं योजना,18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बालक या बालिकाएं जिनसे कोई अपराध हो गया है या जिन्हें देख-रेख की बहुत आवश्यकता है जैसे अनाथ बच्चे, परित्यक्त बच्चे, आपदा के शिकार बच्चे, मानव दुर्व्यवहार के शिकार बच्चे आदि बच्चों की देखरेख हेतु किशोर न्याय बालकों की देख-रेख और संरक्षरण अधिनियम बनाया गया है,ऐसे विधि विवादित किशोर -किशोरियों के सम्बन्ध में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है, जो ऐसे विधि विवादित किशोर - किशोरियों के सम्बन्ध में जांच की शक्ति रखता है जबकि देख-रेख की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जिले में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है,ऐसे बच्चे जिनके माता व पिता दोनो की ही मृत्यु हो जाती है,उनके लिए महिला एवं बाल विकास - समाज कल्याण विभाग के द्वारा वात्सल्य योजना भी चलाई जाती है, जिसके तहत प्रतिमाह ऐसे बच्चो के लिए एक निश्चित धनराशि सरकार की ओर से भुगतान की जाती है, ऐसे अनाथ बच्चो की शिक्षा दीक्षा के लिए भी सरकार की ओर से पठन-पाठन की व्यवस्था जिले के अन्दर की गयी है, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लाभार्थ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोडा द्वारा यूनिट गठित की गई है, जिसमें पैनल अधिवक्तागण एवं अधिकार मित्र सद्स्य रखे गए हैं, नि:शुल्क विधिक सहायता आदि विषयों की जानकारी दी गई।

पत्रकार बीमा योजना में माता-पिता को शामिल करने पर सरकार विचार करेगी : प्रधान सचिव

एस.एन.श्याम

पटना। बिहार सरकार के सूचना एवं जन संपर्क विभाग के प्रधान सचिव अनुपम कुमार ने कहा है कि बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना में पत्रकारों / मीडिया कर्मियों के माता-पिता को शामिल करने पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करेगी। प्रधान सचिव श्री कुमार भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एस एन श्याम को लोक शिकायत निवारण के प्रथम अपील में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दरमियान यह आश्वासन दिया। इस सुनवाई के दरमियान जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक रवि भूषण ने प्रधान सचिव श्री कुमार को बताया कि पत्रकार बीमा योजना में वर्तमान में पत्रकार/मीडियाकर्मियों स्वयं एवं उनकी पत्नी तथा 22 वर्ष से कम उम्र के एक एक पुत्र /पुत्री को शामिल किया गया है। पूर्व राष्ट्रीय सचिव श्री श्याम ने लोक शिकायत निवारण में बीमा योजना में माता-पिता को भी शामिल करने का वाद/अपील दायर कर रखा है। इस अपील में निचले स्तर पर मामले को नीति संगत बताकर कर खारिज कर दिया गया था ।श्याम ने इस के विरोध में प्रथम अपील दायर किया जिसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में अपीलकर्ता को प्रधान सचिव ने स्वयं यहआश्वासन दिया। श्री श्याम ने इस योजना में प्रीमियम राशि में कटौती का भी मामला उठाया है जिसे सरकार ने स्वीकार करते हुए बीमा की प्रीमियम राशि कम कर दी है।

विनय रूहेला ने मानसून एवं आपदा से सम्बन्धित तैयारियों की जिला कार्यालय सभागार में समीक्षा की

एस. गुप्ता

हरिद्वार। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकारण के उपाध्यक्ष विनय रूहेला ने जनपद में चल ही मानसून एवं आपदा से सम्बन्धित तैयारियों की जिला कार्यालय सभागार में समीक्षा की। समीक्षा से पूर्व उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं पेड़-पौंधों के महत्व का संदेश देते हुए जिला कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। बैठक में श्री रूहेला ने निर्देशित करते हुए कहा कि जनहित में ऐंसे कार्य किये जायें कि कम से कम संसाधनों से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। उन्होंने आपदा से सम्बन्धित कार्यों को पूरी ईमानदारी, निष्ठा, तन्मयता एवं मन की गहराई से करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव की सम्भावित स्थिति का साइंटिफिक समाधान हो। उन्होंने सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिये कि विभिन्न क्षेत्रों का आंकलन, विरूपण सही व व्यावहारिक होना चाहिए। उन्होंने सिंचाई विभाग के

कार्यों की एडीएम एफआर से जांच कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मौषम विभाग द्वारा 28 प्रतिशत अधिक बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। उन्होंने वर्षाकाल के दौरान सभी अधिकारियों विशेषकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को पूर्णत: सतर्क रहने के निर्देश दिये। उन्होंने हरिद्वार जनपद में बाढ़ नियंत्रण कायों से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं सहित विस्तृत डिटेल के साथ प्राधिकरण में उपलब्ध होने के निर्देश दियेउन्होंने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि सड़के गड्ढामुक्त हों, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने गड्ढामुक्त की गई कम से कम 25 सड़कों का स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ स्थलीय निरीक्षण करने, रोड की वर्तमान स्थिति का स्वंय आंकलन करने तथा निरीक्षण के फोटो एवं वीडियोग्राफ जिलाधिकारी के साथ साझा करने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता लोनिवि को दिये। उन्होंने ने सवाल करते हुए कहा कि जब सड़क निर्माण हेतु परिस्थितियां अनुकूल व गुणवत्तायुक्त मटेरियल का उपयोग किया जाता है तो समय से पहले सड़कें खराब कैसे हो जाती हैं, उन्होंने निर्माण सामग्री की अधिक से अधिक सैम्पलिंग कराने के निर्देश दिये। उन्होंने वन विभाग की समीक्षा के दौरान राजा जी नेशनल पार्क के वार्डन को विभिन्न विकास कार्यों से सम्बन्धित लम्बित एनओसी विशेषकर हिल बाईपास, श्रीयंत्र मन्दिर के पास बैरागी कैम्प में रोड़ निर्माण अनुमति की विस्तृत जानकारी सहित जिलाधिकारी से 15 दिन के भीतर मिलने के स्पष्ट निर्देश दिये। उन्होंने मनसा देवी पास चैक डेम के साथ ही शहर के सभी बड़े नालों की तली तोड़ सफाई कराने कराने के निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिये। उन्होंने विद्युत विभाग निर्देश दिये कि जनपद में करन्ट लगने की अप्रिय घटना न हो,इसके लिए सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाये। उन्होंने जनपद में डूबने के बढ़ रहे प्रकरणों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए आपदा मद से एक राफ्ट पुलिस विभाग को उपलब्ध कराने तथा दुर्घटना संभावित घाटों पर सूचना पट चस्पा करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए 15 दिन के बाद प्रस्तावित बैठक में की गई कार्यवाही, पूर्ण तैयारियों के साथ सक्षम अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिये। उन्होंने चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने तथा सर्प दंश के उपचार हेतु पर्याप्त मात्रा में एन्टीडोट की व्यवस्था रखने के निर्देश चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को दिये। जिलाधिकारी ने सर्प दंश से होने वाली मृत्यु को आपदा में शामिल करते हुए आपदा में मृत व्यक्तियों की भांति मुआवजा राशि की व्यवस्था करने तथा सभी प्रकार के अग्निकाण्ड को आपदा में शामिल करने का सुझाव दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अच्छे कार्य कर रहे हैं तो प्रमाणिकता भी दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को मार्गदर्शित करते हुए कहा कि दफतरों तक सीमित न रहे बल्कि अपने-अपने कार्यक्षेत्रों का भी भ्रमण करते रहें।

पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय के बीएएमएस 2022 बैच के छात्रों ने जिला न्यायालय हरिद्वार का किया शैक्षणिक भ्रमण

अमित कुमार

हरिद्वार। पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार के अंतर्गत पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय के बीएएमएस 2022 बैच के छात्रों का शैक्षणिक भ्रमण जिला न्यायालय, हरिद्वार में संपन्न हुआ। यह भ्रमण भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Indian System of Medicine – NCISM), नई दिल्ली द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अगद तंत्र एवं विधि आयुर्वेद विषय के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रशांत जोशी, जिला न्यायाधीश, हरिद्वार ने छात्रों को न्यायालय की कार्यप्रणाली, अदालती प्रक्रियाओं की जानकारी दी। जो आयुर्वेदिक चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। छात्रों के साथ इस शैक्षणिक भ्रमण में अगद तंत्र विभाग के विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर डॉ. आशीष भारती गोस्वामी तथा प्रोफेसर डॉ. नरेंद्र कुमार वत्स एवं जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता शिव कुमार चौधरी तथा अधिवक्ता आर्यन चौहान भी उपस्थित रहे। इस भ्रमण की सफलतापूर्वक योजना एवं क्रियान्वयन में पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार एवं उपप्राचार्य डॉ. गिरीश के. जे. का विशेष योगदान रहा। यह भ्रमण छात्रों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक सिद्ध हुआ, जिससे उन्हें न्यायिक व्यवस्था की व्यावहारिक समझ प्राप्त हुई और उनके विषय ज्ञान को व्यवहारिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ करने में सहायता मिली।

श्रीमहंत हरि गिरि महाराज के नेतृत्व में देश के साधु-संतों का उज्जैन में हुआ जमावड़ा

वाणी।

हरिद्वार। जूना अखाड़े के सभी पदाधिकारियों का अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमहंत हरि गिरि महाराज के नेतृत्व में उज्जैन आगमन हो गया। उज्जैन में वर्ष 2028 में महाकुंभ होना है, उससे पूर्व मई में भी गंगा दशहरा पर्व की तैयारियों को लेकर सभी पदाधिकारी व साधु-संतों का उज्जैन आगमन हुआ है। श्रीमहंत हरि गिरि महाराज के निर्देशानुसार दातार अखाड़े के अग्निवास में रविवार से रूद्र चंडी महायज्ञ भी शुरू हो गया। 12 दिवसीय रूद्र चंडी महायज्ञ में पहले दिन सभी पदाधिकारियों ने कोरोना मुक्त भारत व कोरोना मुक्त विश्व तथा विश्व कल्याण की कामना से आहुति दी। श्रीमहंत हरि गिरि महाराज ने कहा कि कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है, ऐसे में हम सभी को भगवान का नाम लेते हुए सर्तकता बरतनी है। भगवान व मां की कृपा से जल्द ही भारत समेत पूरा विश्व कोरोना मुक्त होगा। अभिजीत मुहूर्त में गुरू मूर्तियों की समाधियों का पूजन, मंगलनाथ पूजन, कालभैरव पूजन व दत्त अखाडे में दत्त भगवान का पूजन किया गया। श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा के वरिष्ठ सभापति श्रीमहंत प्रेम गिरि

महाराज, वरिष्ठ सभापति श्रीमहंत उमाशंकर भारती महाराज, वर्तमान सभापति महंत मोहन भारती महाराज, सिद्धपीठ दूधेश्वर महादेव मंदिर गाजियाबाद के पीठाधीश्वर, श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमहंत नारायण गिरि महाराज जूना अखाड़ा के महामंत्री श्रीमहंत महेश पुरी महाराज, महामंत्री श्रीमहंत शैलेंद्र गिरि महाराज, सचिव श्रीमहंत कंचन गिरि महाराज, सचिव श्रीमहंत रामेश्वरानंद गिरि महाराज, सचिव श्रीमहंत मृत्युंजय पुरी महाराज, सचिव परमात्मानंद गिरि महाराज, सचिव देवानंद गिरि महाराज, सचिव ओम भारती , अखाडा परिषद के प्रवक्ता गोविंद सौलंकी, आदि ने शजगतगुरू वीर भद्रानंद गिरी महाराज के नेतृत्व में शिप्रा नदी का पूजन हुआ और हरिहर घाट से दातार अखाडे के लिए सभी पदाधिकारी कलश में जल लेकर दातार अखाडा पहुंचे जहां पूजन के बाद शतचंडी रूद्र महायज्ञ प्रारंभ हुआ।

प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की अधिसूचना पर रोक

आर के जोशी

बीकानेर संभाग। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रस्तावित ग्राम पंचायतों के गठन को तब तक अधिसूचित नहीं किया जाए, जब तक कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को लेकर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय को कोर्ट के विचारार्थ प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी ।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन का शिक्षा माफियाओं पर प्रहार जारी

- प्रशासन के बुलाने के बाद भी नहीं हुए थे हाजिर, प्रशासन में खंगाले कागज तो सामने आया सच, शिक्षा माफियाओं में हड़कंप ।
- जिले में पहली बार शिक्षा माफियाओं के हौसले मटियामेट ।
- प्रशासन के हाथ जब पंहुचे शिक्षा माफियाओं के गिरेबान तक, तब सुधरा विद्यालयों का फीस स्ट्रक्चर
- प्रशासन की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे अब नहीं टिक पा रहे; शिक्षा माफियाओं के हौसले; कई नामी गिरामी स्कूल आए बैकफुट पर ।
- जिला प्रशासन हुआ सख्त तो खुलने लगा स्कूल फीस बढोतरी का खेल।

एस.गुप्ता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के परिपालन में जिला प्रशासन देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में शिक्षा माफियाओं पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। अभिभावकों से फीस के नाम पर वसूली की शिकायतों पर जिला प्रशासन द्वारा शहर के कई नामी-गिरामी स्कूलों पर कार्यवाही से जहां शिक्षा माफियाओं के हौसले पस्त हुए हैं वही बड़े-बड़े स्कूलों का फीस बढोतरी का खेल भी सामने आया है। फीस बढोतरी पर जिला प्रशासन की जीरो टालरेंस की नीति अपनाए हुए है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन का शिक्षा माफियाओं पर प्रहार जारी है, जिले में पहली बार शिक्षा माफियाओं के हौसले मटियामेट हुए हैं। जब प्रशासन के हाथ शिक्षा माफियाओं के गिरेबान तक पंहुचे तब विद्यालयों का फीस स्ट्रक्चर सुधरने लगा। जिला प्रशासन के स्वशासन की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे अब शिक्षा माफियाओं के हौसले नहीं टिक पा रहे हैं, जिससे जिले के कई नामी गिरामी स्कूल अब मनमर्जी फीस बढोतरी पर आए बैकफुट पर आएं है। जिला प्रशासन ने जैसे ही सख्ताई दिखाई तो धीरे-2 स्कूल फीस बढोतरी का खेल भी खुलने लगा। द प्रसिडेंसी इन्टरनेशनल स्कूल, भनियावाला का मामला सामने आया है जहां 100से अधिक अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी की थी शिकायत, बिना मान्यता नवीनीकरण के स्कूल संचालित होने पर प्रशासन ने लगाई रू०5,20,000शास्ति लगाई ही। जिले के भानियावाला में अवस्थित प्रसिडेंसी इन्टरनेशनल स्कूल का फीस बढोतरी पर 100से अधिक अभिभावकों द्वारा डीएम को शिकायत की गई थी। डीएम के निर्देश पर सीडीओ पर बुलाये जाने के उपरान्त भी स्कूल प्रबन्धन उपस्थित नही हो रहे थे। अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि विद्यालय को प्री प्राईमरी से कक्षा 8 तक अंग्रेजी माध्यम से मार्च 2020से मार्च 2025 तक की अवधि 5 वर्ष के लिए मान्यता प्रदान की गई थी, जबकि स्कूल प्रबन्धन द्वारा मान्यता नवीनीकरण के लिए अभी तक आवेदन नही किया गया है, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा द प्रसिडेंसी विद्यालय पर प्री-प्राईमरी से कक्षा-8 तक बिना मान्यता के विद्यालय का संचालन करने के फलस्वरूप शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 की उपधारा-5 में उल्लेखित प्राविधानों के अन्तर्गत विद्यालय पर प्रतिदिवस 10,000/- की दर से दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 22 मई 2025 तक 52 दिवसों का कुल 5,20,000/- रूपये शास्ति आरोपित कर दी गई है। उक्त शास्ति की धनराशि विद्यालय प्रशासन को पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अन्तर्गत जमा करने के निर्देश दिए हैं। यदि विद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित अवधि में शास्ति की धनराशि जमा नहीं की जाती है तो विद्यालय प्रशासन से धनराशि भू-राजस्व की भाँति वसूल की जायेगी।

ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना ने रोशन को दी नई व्यावसायिक दिशा

अमित गुप्ता

हरिद्वार। जनपद हरिद्वार के लक्सर विकासखंड स्थित अकोढ़ा कलां गांव की निवासी श्रीमती रोशन पत्नी संजीत, ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में एक नई पहचान बना चुकी हैं । उनकी कहानी आर्थिक संघर्ष से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। पहले, रोशन देवी एक सूक्ष्म स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाती थीं, जिससे उन्हें प्रति माह 5,000से 6,000की आय होती थी । यह आय उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। इसी बीच, वित्तीय वर्ष 2024-2025 में, ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना की टीम ने उनके व्यवसाय का अवलोकन किया और उनकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप को आय का एकमात्र स्रोत पाया । टीम ने उन्हें बड़े स्तर पर व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित किया और परियोजना से अंशदान के लिए आवेदन करने का सुझाव दिया । रोशन देवी उजाला स्वयं सहायता समूह की एक सक्रिय सदस्य हैं, जिसका गठन 29 नवंबर 2021 को हुआ था और यह राधे ग्राम संगठन तथा आदर्श बहुउद्देश्यीय स्वायत्त सहकारिता (CLF) से जुड़ा हुआ है । इस गतिविधि के लिए परियोजना से उन्हें 75,000का अंशदान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अपनी स्वयं की बचत से 1,25,000का अंशदान किया और 1,00,000का बैंक ऋण भी प्राप्त किया । इस गतिविधि के लिए कुल 3,00,000के निवेश से उन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक दुकान को बड़े स्तर पर विस्तारित किया ।

कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम कर्मेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में यूसीसी की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन

अमित कुमार

हरिद्वार। जिलाधिकारी को ई-डिस्ट्रीक मैनेजर अभिषेक चौहान द्वारा अवगत कराया कि जनपद के 16,133 आवेदन यूसीसी रजिस्ट्रेशन हेतु प्राप्त हुए है जिसमें से 13, 811 आवेदनों को अनुमोदन किया जा चुका है, शेष 894 लम्बित है जिन्हे जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने जनपद के उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में स्थापित सीएससी सेंटरों को पत्र के माध्यम से सम्पर्क कर प्रतिदिन कम से कम 10यूसीसी के रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही रेट लिस्ट चस्पा किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके अधीन कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा अभी तक यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया गया है तो वो तत्काल विवाह पंजीकरण करवा ले। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा लापरवाही एवं शिथिलता बरती जाती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक करवाई की जाएगी, जिनकी जिम्मेदारी स्वयं संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की होगी। इसके पश्चात जिलाधिकारी सीएम हेल्प लाईन पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के दौरान शिकायतों का ''सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि के मूलमंत्र के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश सम्बंधित अधिकारी को दिए। उन्होंने शिकायतकर्त्ता की संतुष्टि हेतु प्रत्येक शिकायत के निस्तारण में शिकायतकर्त्ता से दूरभाष पर वार्ता करने के निर्देश दिए। लम्बित शिकायतों का निस्तारण शीघ्रता से करने के निर्देश सभी जनपदीय अधिकारियों को दिए कि आगामी बैठक से पूर्व लम्बित प्रकरणों को शीघ्रता से निपटाए तथा बैठक में अनुपस्थित रहने पर अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी रुड़की लक्ष्मी राज चौहान, उप जिलाधिकारी हरिद्वार जितेंद्र कुमार, उप जिलाधिकारी लक्सर सौरभ असवाल, डीडीओ वेद प्रकाश, डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह, सीईओ केके गुप्ता, एसपीओ उरेडा वाई एस बिष्ट, एसएनए रुड़की अमरजीत कौर, डीओ पीआरडी मुकेश भट्ट सहित नगर पालिका/पंचायतों के अधिशासी अभियंता व कर्मचारी उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अमित कुमार ने अमर प्रिंटिंग प्रेस, मौहल्ला कड़च्छ, निकट-आईस फैक्टी, ज्वालापुर हरिद्वार से मुद्रित तथा श्री श्याम कुटीर, 29ए, निर्मल विंहार, मिश्रा गार्डन, कनखल, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)-249408 से प्रकाशित किया।

सम्पादक

अमित कुमार

मो. 094120255572

E-mail.

guptaamit1968@gmail.com

guptasaransh11@gmail.com

कानूनी सलाहकार

के.पी.एस.चौहान

(एडवोकेट)

पंजीयन संख्या: UTTHIN/2006/17322

डाक पंजीयन संख्या यू.ए./डी.ओ. दे.दून/291/2024-26

नोट:-समस्त विवादों के लिये हरिद्वार न्याय क्षेत्र ही मान्य होगा सभी पद अवैतनिक है।